–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 25/2025

उनवान

1. रतनी पत्नी महाराम जाति जाट निवासी ग्राम कानपुरा, नसीराबाद

—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– जरियें जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 12.11.25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कानपुरा के हाल खसरा नम्बर 2892/6133 प्रार्थीया की खातेदारी आराजी है। प्रार्थी उक्त आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 2891 सिवायचक भूमि का उपयोग करते है। उक्त रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज नही है। उक्त आराजी में से आवागमन हेतु प्रार्थी के पास एकमात्र रास्ता है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। अतः प्रार्थी को अप्रार्थी की आराजी में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम कानपुरा के हाल खसरा नम्बर 2892/6133 प्रार्थीया की खातेदारी आराजी है। खसरा नम्बर 2891 रकबा 0.44 सिवायचक खाते में दर्ज है। प्रकरण में प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख में कोई रास्ता नही है। किन्तु मौके पर लगभग 10–15 फिट का रास्ता खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2903 में चालू है। उक्त रास्ता खसरा नम्बर 2903 के अन्तिम छोर व खसरा नम्बर 2891 में लगभग 20 फिट की दूरी पर रास्ता बंद है। खसरा नम्बर 2296 मौके पर राज्य मार्ग है किन्तु राजस्व अभिलेख में किस्म बारानी है। खसरा नम्बर 2968 मौके पर तालाब की सिंचाई की मोरी है। खसरा नम्बर 2903 में कई वर्षो से मौके पर 10–15 फिट रास्ता चालू है। उक्त रास्ते को उतर दिशा में खसरा नम्बर 2903 व 2892/6133 के बीच में खसरा नम्बर 2891 में लगभग 10 मीटर की दूरी पर डोल डालकर बन्द कर दिया गया है। खसरा नम्बर 2903 प्रार्थी के [illegible] महाराम पुत्र [illegible] नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 2892/6133 प्रार्थी द्वारा क्रय किया गया है। खसरा नम्बर [illegible]91 पर अतिक्रमी अमरचन्द पुत्र रामरतन के विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही विचाराधीन है। खसरा नम्बर 2968 मोके पर तालाब की मोरी होने से रास्ता दिया जाना उचित [illegible] है।

उक्तानुसार स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 2892/61[illegible] का रकबा मात्र 0.02 है [illegible]

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:04:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थी द्वारा क्रय किया गया है। प्रार्थी द्वारा मात्र 0.02 आराजी हेतु मार्ग चाहा है। उक्त आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 2903 में मार्ग चालू होना बताया गया है। खसरा नम्बर 2903 प्रार्थी के पति की ही खातेदारी का है। उक्त भूमि में से प्रार्थी द्वारा आवागमन किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 2891 में से ही रास्ता चाहा है किन्तु खसरा नम्बर 2296, 2297 व 2268 भी राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अंकित नही है। खसरा नम्बर 2968 मौके पर मोरी है जिसमें से रास्ता नही दिया जा सकता है। प्रार्थी के पास अन्य वैकल्पिक मार्ग है। चाहे गये रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता सिद्व नही होती है। प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **''खारिज''** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:04:23 IST
Reason: SelfAttested